[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 8th June, 2011]

## HARYANA GOVERNMENT

### LABOUR DEPARTMENT

#### Notification

The 8th June, 2011

No. 11/3/2011-4Lab.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the Punjabs Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958, in their application to the State of Haryana, namely:—

- 1. These rules may be called the Punjab Shops and Commercial Establishments (Haryana Amendment) Rules, 2011.
- 2. In the Punjab Shops and Commercial Establishments Rules, 1958, in rule 13, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
  - "(1) A statement required under Section 13 of the Act for registration of an establishment or its renewal shall be submitted by the employer to the Inspector of the area within whose jurisdiction the establishment is situated in triplicate in Form F, along with requisite registration/renewal fee prescribed hereunder for different categories of establishment:—

Sr.	Type of establishment	Registration fee for 3 years	Renewal fee for block of 3 years
I	2	3	4
1.	Starred hotels, cinema houses, banks, insurance companies, financial institutions, and/or information technology and information technology enabled establishments and telecommunication establishments employing 10 or more employees	₹ 5,000	₹ 5,000
2.	Nursing homes, privately managed educational institutions/universities and petrol pump	₹ 1,000	₹ 1,000
3.	Workshops, automobiles service stations (not covered under the Factories Act, 1948), computer training centres, shorthand and typing institutions, health and fitness clubs, clinics, medical laboratories, restaurants, unstarred hotels, and/or all establishments employing 10 or more employees	₹ 500	₹ 500
4.	All shops and commercial establishments not covered under the above three categories and employing less than 10 employees	₹ 300	₹ 300
5.	All shops and commercial establishments owned and/or managed by the shopkeepers himself and not employing any employee	₹ 100	₹ 100

The Inspector, after scrutiny of the statement and if found in order, shall issue or renew the registration certificate, as the case may be, as required under clause (i) of Sub-section (2) of Section 13 of the Act in the same Form within 30 days of the receipt of the statement by him:

Provided that all those establishments in whose case a registration certificate has already been issued and is valid on the date of publication of this notification shall also remit the requisite fee on the scale prescribed above, to the Inspector of the area in which the establishment falls, within 90 days of the publication of this notification."

SARBAN SINGH,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Labour Department.

# [Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 8th June, 2011 ]

श्रम विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 8 जून, 2011

संख्या 11/3/2011-4श्रम.—पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (हरियाणा संशोधन) नियम, 2011 कहं जा सकते हैं।
- 2. पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियम, 1958 में, नियम 13 में उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित के उप नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
  - "(1) अधिनियम की धारा 13 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रतिष्ठान पंजीकरण तथा इनके नवीकरण हेतु नियोजन द्वारा विभिन्न प्रवर्गों के प्रतिष्ठानों के लिये नीचे दी गई विहित अपेक्षित पंजीकरण/नवीकरण फीस फार्म 'च' में तिहरी प्रतियों में, क्षेत्र के निरीक्षक, जिस की अधिकारिता में प्रतिष्ठान स्थित है, प्रस्तुत की जायेगी।

क्रम रख्या	प्रतिष्ठानों का प्रवर्ग	तीन वर्षों के लिये पंजीकरण फीस	तीन ब्लाक वर्षों हेतु नवीकरण फीस
1	2	3	4
1.	तारांकित होटल, सिनेमा घर, बैंक, बीमा कम्पनी, वित्तीय संस्थानों तथा/या सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संस्थायें तथा संचार संस्थायें जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित कर रही हों।	₹ 5,000	₹ 5,000
2.	नर्सिंग होम, निजी प्रबन्धित शेक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय तथा पेट्रोल पम्प	₹ 1,000	₹ 1,000
3.	वर्कशाप, आटोमोबाईलज सर्विस स्टेशन (कारखाना अधिनियम के अधीन न आने वाले) कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, आशुलिपि तथा टंकण संस्थायें, स्वास्थ्य तथा अरोग्य कल्ब, क्लीनिक तथा चिकित्सीय प्रयोगशालाएं तथा रेस्टोरेन्टस, अतारांकित होटल तथा/या सभी संस्थान जो 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित कर रही हों।	₹ 500	₹ 500
4.	सभी दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो उपरोक्त तीनों प्रवर्गों के अन्तर्गत नहीं आते तथा 10 या 10 से कम कर्मचारी नियोजित कर रहे हों।	₹ 300	₹ 300
5.	सभी दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो दुकानदार द्वारा स्वयं संचालित या प्रबन्धित हैं तथा/या कोई भी कर्मचारी नियोजित नहीं कर रहे हों।	₹ 100	₹ 100

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (i) के अधीन यथा अपेक्षित विवरणी की छानबीन करने उपरान्त, यदि ठीक पाई जाती है, तो निरीक्षक उसके द्वारा विवरणी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उसी फार्म में पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा या नवीकरण करेगा, जैसी भी स्थिति होगी:

परन्तु उक्त सभी प्रतिष्ठानों जिन के मामले में पंजीकरण प्रमाण-पत्र पहले से जारी किया गया है तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से वैध है, वह उपरोक्त विहित पैमाने पर अपेक्षित फीस क्षेत्र के निरीक्षक को जहां प्रतिष्ठान स्थित है, इस अधिसूचना के प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर भरेगा।"

सरबन सिंह, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग।